उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या /2017/17(120)/XXVII(8)/2014
देहरादूनः दिनांक :: 22 मई, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम, 2015 (अधिनियम सं0 23 वर्ष 2015) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 1 वर्ष 1904), (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त), की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख की अगली तारीख से अधिसूचना संख्या 192/2016/17(120)/XXVII(8)/2014 दिनांक 02 मार्च, 2016 विखण्डित समझी जायेगी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

सं0 365/2017/17(120)/XXVII(8)/ 2014 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4–अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5–एन0आई0सी0
6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव।

E:/New Vigyapti/ Cess omitted on Petrol & Diesel(15-05-2017)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.365/ 2017/ 17(120)/XXVII(8)/2014 dated 22 May, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No365/2017/ 17(120)/XXVII(8)/2014
Dehradun :: Dated :: 22 May, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Uttarakhand Cess Act, 2015 (Act no. 23 of 2015) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to direct that, the notification no. 192/2016/17(120)/XXVII(8)/2014 dated 02 March, 2016 shall be deemed rescind, with effect from the next date of issuing date of this Notification in the Gazette.

(Amit Singh Negi)
Secretary